न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम्, रोहतास, सासाराम ।

नियमित जमानत आवेदन सं0 1435 / 2022
चेनारी थाना काण्ड सं. 174 / 22 से उत्पन्न

मोती यादव बनाम बिहार सरकार

06.03.2023 आवेदक मोती यादव की ओर से दिनांक 11.10.2022 को नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जो इस न्यायालय को दिनांक 15.10.2022 को प्राप्त हुआ, जिसे आज दिनांक 06.03.2023 को सुनवाई हेतु रखा गया। आवेदक के विरूद्ध धारा 379,411 भा0दं0वि0 का आरोप है। आवेदक दिनांक 30.08.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में विद्वान अपर लोक अभियोजक, सासाराम, रोहतास को दी गयी है। सुना।

अभिलेख सुनवाई पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई के दौरान नियमित जमानत आवेदन को संचालित करते हुए, कहना है कि आवेदक निर्दोष है, इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त किसी भी न्यायालय में नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के भौतिक कब्जा से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं है और इनके विरूद्ध कुछ अन्य वाद लंबित हैं आवेदक को इस वाद में चेनारी थाना कांड सं0–176 / 2022 से दिनांक 30.08.2022 को रिमांड पर लिया गया है। आवेदक का नाम इस वाद में सहअभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है, जिसका साक्ष्य के दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। आवेदक के विरूद्ध प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक / काराभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार बंध पत्र देने हेतु तैयार है। अतः आवेदक / काराभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक, रोहतास, सासाराम द्वारा नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हुए, कहा गया है कि आवेदक के विरूद्ध धारा 379,411 भा0दं0वि0 का आरोप है एवं उक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया है तथा सहअभियुक्तों ने घटना में आवेदक की संलिप्तता स्वीकार की है। उक्त स्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को देखते हुए, आवेदक का जमानत आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

संक्षेप में अभियोजन का मामला सूचक अभिषेक कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 11.06.2022 को समय 08:30 बजे रात्रि में वह अपना मोटरसाईकिल निबंधन सं0–बी.आर. 24 ए.एफ. 4759 को ब्रजेश कुमार चौबे के दुकान के सामने खड़ा किया था और खाना खाकर छत पर सोया था और करीब 12:30 बजे रात्रि में खट–पट की आवाज सुनाई दी, तो उसकी नींद टूट गई और देखा कि दो मोटरसाईकिल से चार व्यक्ति मुंह बांधे दुकान पर आयें और उसके मोटरसाईकिल का लॉक तोड़कर लेकर भागने लगें। चोर–चोर का हल्ला किया, परंतु अभियुक्तगण मोटरसाईकिल लेकर भागने में सफल हो गयें।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी एवं विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक व अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित होने के उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 379,411 भा0दं0वि0 के अंतर्गत संज्ञान लिया जा चुका है। कांड दैनिकी की कंडिका–2 में वादी अभिषेक कुमार का पुनः बयान, कंडिका–5 में घटनास्थल, कंडिका–6 में साक्षी माना मुसहर, कंडिका–7 में साक्षी संदीप कुमार गुप्ता का धारा 161 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दिया गया बयान है, जिसमें साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका–10,25,26 में सहअभियुक्तों का स्वीकारोक्ति बयान है, जिसमें सहअभियुक्तों ने घटना में आवेदक की संलिप्त होने सम्बंधी तथ्य प्रस्तुत किये हैं। कंडिका–27 में प्रश्नगत् मोटरसाईकिल का जब्ती सूची है, जिसमें सहअभियुक्त लव पटेल के घर के बगल के गली से बरामद किये जाने का उल्लेख है। कंडिका–51 में आवेदक व अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 379,411 भा0दं0वि0 के अंतर्गत मामला सत्य पाते हुए, आरोप–पत्र समर्पित किये जाने का उल्लेख

लगातार है। आवेदक दिनांक 30.08.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है एवं सहअभियुक्तों का नियमित जमानत आवेदन इस
06.03.2023 न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है तथा आरोपित धारायें विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा विचारण करने योग्य है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक के भौतिक कब्जा से चोरी की मोटरसाईकिल का बरामदगी का न होना, सहअभियुक्तों का नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत होना एवं आरोपित धारायें विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय होना तथा कारा में बितायी गयी अवधि पर विचार करते हुए, यह न्यायालय आवेदक/काराभियुक्त मोती यादव को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित समझती है, तद्नुसार आवेदक/काराभियुक्त की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है एवं दस हजार (10,000) का बंध पत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ दाखिल करने व विचारण न्यायालय के संतुष्टि उपरांत जमानत पर मुक्त करने का आदेश निम्न शर्त्तों के साथ दिया जाता हैः— 1. आवेदक के जमानतदारों में से एक जमानतदार माता या पिता होंगे, यदि माता–पिता में से कोई जीवित न हों तो कोई नजदीकी रिश्तेदार होंगे।

2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे। यदि आवेदक लगातार दो तिथि तक बिना किसी वैध कारण के अनुपस्थित रहते हैं, तो अभियोजन आवेदक के जमानत को रद्द कराने हेतु आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

3. आवेदक इस आशय का अंडरटेकिंग बाउंड देंगे कि भविष्य में समान प्रकृति के अपराध में संलिप्त नहीं होंगे।

यदि आवेदक द्वारा उक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो अभियोजन बंध–पत्र खंडित कराने हेतु आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(लेखापित)

(प्र0)अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम्
रोहतास, सासाराम